उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H0G573 / सी–1 / एन0ओ0सी0–1136 / 2017 दिनांक 01-8-17

सेवा में,

मै0 ए0आई0जी0 इन्फाटेक (इण्डिया) प्रा0लि0,
ग्रुप हाउसिंग परियोजना "पार्क एवेन्यू"
कार्पोरेट आफिस– बी–16, सेक्टर–67,
नोयडा, गौतमबुद्धनगर।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:–

(क) **स्थल**:–मै0 ए0आई0जी0 इन्फाटेक (इण्डिया) प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना "पार्क एवेन्यू" जी0सी0–02, प्लाट नं0–01, गौर सिटी–1, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

(ख) **उत्पादन**:– प्रस्तावित 20000 वर्गमीटर पर पूर्व से निर्मित क्षेत्रफल 75840.16 वर्गमीटर में 32963.374 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया का विस्तारीकरण कर कुल बिल्टअप एरिया 108803.50 वर्गमीटर का निर्माण कार्य।

(ग) **मुख्य कच्चे माल**:– बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा**:– 276 कि0ली0 / दिन

(ड.) **प्रयुक्त ईंधन**:– 4000 केवीए क्षमता केवीए क्षमता के डी0जी0 सेट हेतु डीजल।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवी तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना इकाई में परीक्षण उत्पादन / संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन / संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन / संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना / उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना / उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

कृ0पृ0उ0

4. परियोजना में परीक्षण उत्पादन/संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 276 किली0/दिन जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 310 किली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये। एस0टी0पी0 से शोधित सीवेज उत्प्रवाह की गुणता सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित अद्यतन मानको के अनुरूप किया जाये। शुद्धिकृत सीवेज को फ्लशिंग, कूलिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जायेगा। यदि अवशेष सीवेज को अथारिटी की सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है तो अथारिटी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

6. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

7. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जाये तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाये।

8. परियोजना द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित किया जायेगा तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जाये।

9. परियोजना से जनित सालिड वेस्ट का निस्तारण सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

10. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीगेट किया जायेगा जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाये।

11. प्रस्तावित परियोजना में 4000 केवीए क्षमता का डी0जी0 सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर एवं बोर्ड मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित किया जाये।

12. परियोजना द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

13. परियोजना का निर्माण अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत नक्शा दिनांक 08/07/2014 के अनुसार ही किया जाये।

14. पर्यावरणीय क्लीयरेन्स दिनांक 24.06.2016 की शर्तों का अनुपालन किया जाये।

15. भारतीय विमानन पत्तन द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 की प्रति प्रेषित की जाये।

16. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जाये।

17. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित किया जाये।

18. परियोजना स्थल पर अथॉरिटी के नियमानुसार हरित पट्टिका विकसित की जाये।

19. भूमिगत जल के दोहन हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

20. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.

21. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.

22. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debri or construction material does not get dispered in to the air or atmosphere in any form whatsoever.

23. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.

24. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

.....3/-

25. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle

26. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.

27. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.

28. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

29. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

30. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.

31. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.

32. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

33. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं0 2186IGPER002017 दिनांक 29.07.2017 रू0 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग/परियोजना द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(डा0 राजीव उपाध्याय)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

टण्डन/